तारीख हुक्म	न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मु॰ नं॰ 2/43 धारा 212 RTAct-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनवान :- इशाक खां Vs. सुलेमान	
24.8.17	वादी ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि आराजी ख॰नं॰ हाल 1807/0.36, 1808/0.32 1809/0.04 कुल किता 3 रकबा 0.72 वाके ग्राम बीजवाड़ तह॰ मालाखेड़ा जिला अलवर की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता मोहरसिंह के नाम 1/4 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मोहरसिंह की मृत्यु होजाने पर किन वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बराबर - बराबर दर्ज चली आ रही है, जिसमे काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, जिस आराजी में से आराजी ख॰नं॰ 1807 रकबा 0.36 वाके ग्राम बीजवाड़ आबादी के लगती हुई भूमि है जिस आराजी को वादी व वारसानतान ने अपने रिहायश हेतु उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी का कानूनी बटवारा नही के कारण वादी को रास्ते से हटकर उक्त आराजी में हिस्सा घरेलू बटवारा में आजाने के कारण सायल ने मुताबिक घरेलू बटवारा अनुसार अपने हिस्से में मकान बना लिया 16 - 17 साल से रिहायश करता चला आ रहा है प्रतिवादीगण वादी के मकान को जाने वाले रास्ता को बन्द करना चाहते है। आराजी ख॰नं॰ 1807 जो रास्ते के पास वाला खेत है जिस खेत के मध्य पश्चिम उत्तर दक्षिण आर पार रास्ता है, जिस रास्ते के लगता हुआ हिस्सा सुलेमान व शरीफ खां का हिस्सा है तथा उनके पीछे यानि तर्फ पूर्व को सायल का हिस्सा आया है मुताबिक घरेलू बटवारा अनुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी, प्रतिवादी शादी खां का हिस्सा है तथा इनके सिर्फ यानि बाद पूर्व से वादी का हिस्सा आया है तथा मुताबिक घरेलू बटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी शादी खां के हिस्से मे होकर अपने मकान को आता जाता था और शादी खां को 15 फुट चौड़ा रास्ता शादी खां के प्लाट मे होकर सामने वादी के मकान को आने जाने के लिए रास्ता था और इसी अनुसार [redacted] वादी व प्रतिवादीगण इस आराजी को उपभोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे थे और अपने हिस्से मे अपनी अपनी सहूलियत अनुसार मकान बना लिए है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख.नं. हाल 1807 रकबा 0.36 एकड़ वाके ग्राम बीजवाड तह. मालाखेड़ा के मुताबिक हिस्सा वादी को अपने मकान के लिए जाने आने हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे, मकान पर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध नही करे यानि कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करे। किसी व्यक्ति को रहन बेय नही करे एवं किसी प्रकार की रुकावट मजाहमत पैदा ना करे। वादी का वाद प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस से तलब किया। प्रतिवादीगण ने जरिए वकील उप० होकर वाद प्रा.पत्र का जवाब पेश किया कि वादी/प्रतिवादीगण का मौके के अनुसार कब्जा बिना रोक टोक के शांति पूर्वक करीब 20 वर्ष से चला आ रहा है, जिसमें रिहायशी एवं कच्चे व पक्के मकान [redacted] बनाकर आपसी घरेलू बटवारा के मुताबिक [redacted] काबिज चले आ रहे हो सह खातेदार के खिलाफ टी. आई जारी नही की जा सकती विवादित आ.ख.नं. 1807 रकबा 0.36 एकड़ वादी व ~~[illegible]~~ प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा है। पटवारी ह० ने गांव के मौजिज लोगो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के सामनें नक्शा, जांच रिपोर्ट तैयार की। वादी एवं प्रतिवादीगण का शपथ पत्र दि० 21-2-2011 को ईशाक की प्लॉट पर आने जाने का 8 फुट का रास्ता शाहीरवां गैर सायल के प्लॉट मे से जारी रहेगा। और वादी ने दोनो तरफ पक्की बाऊण्ड्री बनाकर अपने घर से आम रास्ता (सड़क) तक चालू है अतः वादी के हक मे जारी टी आई दि० 16-6-2017 खारिज फरमाई जावे।

हमनें विद्वान अभिभावकगणों की महत्वपूर्ण जिरह को सुना, प्रस्तुत प्रा०पत्र, शपथ पत्र, जवाब प्रा०पत्र, शपथ पत्रो एवं प्रतिवादीगण के वकील द्वारा RRD 14-3-17 पेज 166 की पर नजीर, पूर्व प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16-6-2017 का आद्योपान्त अवलोकन किया वकील वादी का कथन है कि आराजी के पश्चिम तरफ सी-सीरोड सुलेमान का निवास है, वादी के मकान तक रास्ता दिया जावे; प्रतिवादी द्वारा मकान बनाकर अवरुद्ध किया जा रहा हो कृषि भूमि का रास्ता हेतु एल० आर० एक्ट मे पृथक से प्रावधान है। बाहमी समझौतें से सहमति है सहखातेदार है। अतः आने जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दावा फैसला तक स्थाई निषेधाज्ञा किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील का कथन है कि आ०ख०नं० 1807 रकबा 0.36, का 1/4 हिस्सा 0.09 एयर मे बाहमी बटवारा से मकान निर्मित है, ईशाक का मकान बना हुआ है। वादी का स्वयं मकान बना रहा था तभी T9 जारी कर दी, शपथ पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार संलग्न है अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया सहखातेदार के विरुद्ध T9 नही दी जा सकती। नजीर पेश की। अतः T9 खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त समस्त विवेचन से अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की की संयुक्त खातेदारी की भूमि है मकानात बने हुए है, रास्ते बाबत बाहमी समझौते से सहमति बनी हुई है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रास्ते हेतु पृथक से प्रावधान है। प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकातान को पाबंद किया जाता है कि ~~[illegible]~~ ता दावा फैसल तक एक दूसरे के कब्जे काश्त में, आने जाने में रुकावट व मजाहमत नहीं करें। अपने हिस्से की भूमि तय कराकर व रास्ते हेतु LRAct के तहत पृथक से कार्यवाही करे [चाराजोई] कर सकते है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.6.17 को ता फैसला मुकदमा स्थाई (Absolute) किया जाता है। लिखित आज दिनांक 24.8.17 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर अलवर (राज०)	